राष्ट्रीय हरित अधिकरण–2010 (National Green Tribunal)

यह अधिनियम 2 जून 2010 को लागू हुआ था। इस ट्रिब्यूनल की स्थापना के कारण के पीछे कुछ अन्तराष्ट्रीय घटनायें है–

क. सन् 1972 में स्टाकहोम में संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवीय पर्यावरण सम्मेंलन में भारत की प्रतिभागिता तथा मानवीय पर्यावरण संरक्षण तथा उन्नयन (सुधार) का आवाहन करना।

ख. सन् 1992 में रियो डी जेनेरियों में आयोजित सं0 रा0 पर्यावरण एवं विकास सम्मेंलन में भारत का प्रस्ताव कि प्रदूषण एवं अन्य पर्यावरण क्षतियों से प्रभावित लोगों की ऐसे विधिक एवं प्रशासनिक कार्यवाहियों तक पहुंच हो सके जो क्षतिपूर्ति एवं आवश्यक समाधान दें।

ग. भारतीय संविधान की धारा 21 के अनुसार स्वस्थ पर्यावरण नागरिको का अधिकार है।

उक्त सभी कारणों के आधार पर, बहुआयामी उद्देशयों की प्रप्ति के लिये भारतीय गणराज्य के 65 वें वर्ष में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की स्थापना हई। इसका मुख्यालय दिल्ली में तथा 4 क्षेत्रीय शाखाएं– पुर्णे, भोपाल, चेन्नई तथा कोलकाता में है। इसकी और भी शाखाएं बनायी जा सकती है। इसके अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवनिवृत्त जज तथा सदस्य उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त जज होते है। NGT सिविल प्रकिया संहिता 1908 के प्राविधानो के बाध्य नहीं है और नैसर्गिक न्याय सिद्धातों (Principal of Natural Justice) पर काम करता है।

यहां हम **NGT** के तीसरे तथा चौथे अध्याय पर संक्षिप्त वर्णन करेंगें।

अध्याय तृतीय

इसमें NGT के न्याय क्षेत्र, शक्तियों तथा कार्यविधि (Proceeding) के प्रावधानों की कुल 12 धारायें– चौदह से पच्चीस तक है।

धारा 14– विवादों का निपटारण– इसमें कुल 3 उपधारायें है–

1. NGT उन सभी दिवानी मामलों की सुनवाई करेगा जो पर्यावरण सम्बन्धी है।

2. NGT उपधारा 1 से उत्पन्न मामलों की सुनवाई तथा उनके निपटानें के आदेश भी देगा।

3. जो कोई भी विवाद, यदि वह कारण घटने के 6 माह के अन्दर नहीं लाया गया, वो उसकी सुनवाई NGT नहीं करेगा।

परन्तु यदि NGT सन्तुष्ट हो कि वादकारी उचित कारणों से वाद प्रस्तुत नहीं कर सका था तो NGT उसे 60 दिन तक का अतिरिक्त समय दे सकता है।

धारा 15–रहित क्षतिपूर्ति (**compe**nsaftion) तथा पुनर्स्थापन (Restitution)

इसमें कुल 5 उपधारायें है जिनका सार संक्षेप इस प्रकार है।

1. पर्यावरणीय कारणों से जो व्यक्ति पीड़ित है उसे राहत तथा क्षतिपूर्ति देने के आदेश देना।

2. उसकी क्षतिग्रस्त सम्पत्ति की क्षतिपूर्ति तथा पर्यावरण के पुनर्स्थापन (Restitution) के आदेश करना।

3. उक्त क्षतिपूर्ति पब्लिक लायबिलिटि अधिनियम– 6/1991 द्वारा देय क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त होगी।

4. क्षतिपूर्ति प्राप्त करनें के लिए उचित कारण घटित होने के 5 वर्ष के अन्दर ही प्रार्थना पत्र देना होगा, परन्तु जैसा धारा 14(3) में था, यहां भी NGT 60 दिन तक का अतिरिक्त अवधि विस्तार कर सकता है।

5. प्रभावित / पीड़ित व्यक्ति ने यदि कहीं अन्य भी प्रार्थना पत्र दे रखा है या अन्य किसी न्यायिक व्यवस्था के आदेश से क्षतिपूर्ति प्राप्त की है। तो उसे NGT को इससे अवगत कराना होगा।

धारा 16–

वाद न्यायाधिकृत क्षेत्र (Jurisdiction)

a. जल प्रदूषण निरोधक नियन्त्रण अधिनियम 1974 धारा 28 के अधीन राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के आरम्भ होने की तिथि से दिया आदेश अथवा निर्णय
b. राज्य सरकारो द्वारा जल प्रदूषण निरोध–नियन्त्रण अधिनियम 1974 धारा 29 के सन्दर्भ में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के आरम्भ होने की तिथि से दिया आदेश अथवा निर्णय दिये आदेश।
c. किसी परिषद (Board) द्वारा जल प्रदूषण निरोध–नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 35 । के अन्तर्गत राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के आरम्भ होने की तिथि से दिया आदेश अथवा निर्णय दिये गये निर्देश

d. किसी प्राधिरण द्वारा जल प्रदूषण अधिनियम 1974 की धारा 3 सम्बन्धी राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के आरम्भ होने की तिथि से दिया आदेश अथवा निर्णय आदेश
e. राज्य सरकार अथवा किसी प्राधिकरण द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 के संदर्भ मे राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के आरम्भ होने की तिथि से दिया आदेश अथवा निर्णय दिये आदेश/निर्णय
f. सम्बंधित प्राधिरण द्वारा वायु प्रदूषण निरोध–नियंत्रण अधिनियम 1981 धारा 31 क राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के आरम्भ होने की तिथि से दिया आदेश अथवा निर्णये आदेश
g. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986– धारा 5 सम्बंधी राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के आरम्भ होने की तिथि से दिया आदेश अथवा निर्णय आदेश
h. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत किसी औद्योगिक क्षेत्र में पर्यावरण सुधार करने के राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के आरम्भ होने की तिथि से दिया आदेश अथवा निर्णय आदेश
i. अथवा न करने के आदेश
j. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण या राज्य जैव विविधता परिषद द्वारा जैविक विविधता अधिनियम 2002 सम्बंधी राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के आरम्भ होने की तिथि से दिया आदेश अथवा निर्णय आदेश या लाभ वितरण व्यवस्था

उक्त सभी क्षेत्रों में यदि पीड़ित व्यक्ति पारित आदेश की तिथि से 30 दिन की अवधि में, प्रार्थना पत्र देगा तो NGT विचार कर सकता है, अथवा सन्तुष्ट होने पर NGT 60 दिनों तक अतिरिक्त कृपा अवधि विस्तार भी दे सकता है।

धारा 17

विशेष परिस्थिति में क्षतिपूर्ति (Compensation) या राहत (Relief) भुगतान का दायित्व (Liability)–तीन उपधारायें–

1. दुर्घटना की स्थिति में (उस संस्था के कर्मचारियों का छोड़कर) यदि किसी की मृत्यु, सम्पत्ति की क्षति, अथवा पर्यावरण को क्षति हुई है तो उत्तरदायी व्यक्ति सम्बंधित हानि की क्षतिपूर्ति अथवा राहत राशि भुगतान हेतु बाध्य होगा,
2. यदि उपधारा (1) में उल्लिखित दुर्घटना 1 से अधिक श्रोतो से उत्पन्न हो तो NGT उन सभी उत्तरदायी कारणों पर भुगतान बाध्यता को विभाजित कर सकता है।
3. किसी दुर्घटना पर NGT निर्दोषिता के आधार पर विचार करेगा।

धारा 18

NGT के समक्ष विचार हेतु प्रार्थना अथवा याचिका देने की योग्यता

उपधारा 1 NGT की धारा 14,15,16 के प्राविधानों के तहत– दिये गये निश्चित प्रारूप, विवरण, वांछित पत्रावलियों तथा निर्धारित शुल्क सहित प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है।

2. धारा 16 के प्राविधानों के अतिरिक्त क्षतिपूर्ति या राहत हेतु प्रार्थना पत्र देने के अधिकारी है–

a- पीड़ित व्यक्ति
b- क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का स्वामी
c- पर्यावरण क्षति के कारण एक या अधिक मृतकों के वैध प्रतिनिधि
d- उपरोक्त सम्पत्ति– स्वामी या मृतक के वैध प्रतिनिधि अथवा नियुक्त एजेन्ट
e- पीड़ित व्यक्ति, प्रतिनिधि संस्था अथवा संगठन
f- केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या केन्द्र शासित राज्य प्रशासन या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या राज्य प्रदूषण नियंत्रण समिति या स्थानीय प्रधिकरण अथवा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अर्न्तगत गठित पर्यावरण प्राधिकरण

केन्द्र सरकार या एक राज्य सरकार या केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण परिषद कोई राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद या प्रदूषण नियंत्रण समिति या स्थानीय प्रधिकरण या कोई भी पर्यावरण प्राधिकरण जो पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 या समयानुसार प्रभावी–
किसी अन्य कानून के अधीन गठित हो:
तथापि जहां किसी मृतक के सभी विधिक प्रतिनिधियों ने क्षतिपूर्ति या राहत या विवाद निपटारे के प्रार्थना पत्र में प्रतिभाग नहीं वहां प्रार्थना पत्र मृतक के सभी विधिक प्रतिनिधियों की ओर से दिया जायेगा और जो विधिक प्रतिनिधियों सहभागी नहीं हुये हैं वह सभी प्रार्थना पत्र के प्रतिवादी पक्ष होगें परन्तु आगे वह व्यक्ति, स्वामी, विधिक प्रतिनिधि, एजेन्ट, प्रतिनिधि संस्था या संगठन किसी राहत क्षतिपूर्ति या विवाद निपटाने का प्रार्थना पत्र देने का अधिकारी नहीं है यदि ऐसे व्यक्ति, स्वामी, विधिक प्रतिनिधि, एजेन्ट, प्रतिनिधि संस्था या संगठन ने धारा 16 के अन्तर्गत आवेदन को वरीयता दी है।

3. आवेदन अथवा जैसा मामला हो, याचिका जो इस अधिनियम के आधीन अधिकरण के समक्ष लायी है, तो अधिकरण यथा संम्भव प्रयास पूर्वक शीघ्र ही उसका निस्तारण करेगा तथा स्थिति अनुसार याचिका के प्रस्तुत किये जाने से छः माह के अन्दर अथवा स्थिति अनुसार, सम्बन्धित पक्षों को सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात निस्तारित करेगा।

धारा 19

NGT की विधिक कार्यवाही तथा अधिकार

1. NGT पर सिविल प्रकिया संहिता 1908 बाहयकारी नहीं है।
2. NGT इस अधिनियमानुसार अपनी विधि निर्धारण की शक्ति स्वयं रखता है।
3. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 NGT पर बाध्यकारी नहीं है।
4. किसी वाद की सुनवाई एवं निपटारों के लिये NGT में सिविल प्रकिया संहिता 1908 के सभी अधिकार समाहित होगें, जो इस प्रकार है–

a- न्यायालय में बुलाना (Summoning) तथा उपस्थित रखना
b- अभिलेखों की खोज एवं प्रस्तुति
c- शपथ पत्र स्वीकार करना
d- भारतीय साक्ष्य अधिनियम– 1972 की धारा 123–124 के अर्न्तगत किसी भी कार्यालाय से अभिलेख अथवा उनकी प्रतिलिपि प्राप्त करना
e- साक्ष्य परीक्षा के लिये कमीशन नियुक्त करना
f- कमीशन का निर्णय प्राप्त करना
g- एक पक्षीय (Ex parte) निर्णय देना
h- एक पक्षीय निर्णय को निरस्त करना
i- अन्तरिम आदेश देना
j- निश्चित कियान्वयन के उल्लंघन को रोकना आदि

भारतीय दण्ड संहिता (IPC) की (1862) धारा 193, 219, तथा 228 के अर्थो को धारा 196 के संदर्भ में लेते हुये तथा दण्ड प्रकिया संहिता–1973 के अध्याय 25 की धारा 195 के उददेश्यों हेतु NGT एक दीवानी अदालत होगी तथा इसमें चलने वाले सभी वाद न्यायिक वाद माने जायेगें।

धारा 20

NGT संधारणीयता (Sustainalibility) के सिद्धान्त पर कार्य करेगा।

धारा 21

निर्णय सदस्यो के बहुमत से मान्य होगें।

धारा 22

NGT के निर्णय सर्वोच्च न्यायलय में ले जाये जा सकतें है।

धारा 23–24

मूल्य, क्षतिपूर्ति, राहत राशि आदि

धारा 25

अधिकरण के निर्णय कियान्यवन विधि–

1. इस अधिकरण के निर्णय/आदेश दीवानीं अदालत के आदेश जैसे मान्य होंगें।
2. अधिकरण अपने आदेश सम्बंधित स्थानीय दीवानी अदालत को भेज सकता है जो इनके अनुपालन करना, किसी अदालतीय निर्णय की भांति सुनिश्चित करेगी।

अध्याय 4

इसमें कुल 3 धारायें 26, 27, 28 हैं।

धारा 26

विभिन्न श्रेणी की व्यापारिक कम्पनियों द्वारा NGT के आदेशों का अनुपालन न करनें की दशा में तीन वर्ष तक के कारावास अथवा 10 करोड़ रूपये तक का अर्थ दण्ड़ अथवा दोनो, परन्तु दण्ड प्रकिया संहिता– 1973 के नियमों से अलग NGT के समक्ष प्रत्येक अपराधी असंज्ञेय मानित होगा।

धारा 27

कम्पनियों द्वारा सम्भावित अपराधों की परिभाषायें तथा न्यायिक विशेषताएं वर्णित है।

धारा 28

सरकारी विभागो द्वारा संभावित अपराध तथा तत्सम्बन्धी तदानुसार निर्णय एवं दण्ड विधान।